(24)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ/5–3/2006/3/एक भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील (सिविल) 3595 – 3612/1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.4. 2006 को पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार दैनिक वेतन भोगियों, अस्थायी कर्मचारियों के प्रकरण में कार्यवाही बावत्।

संदर्भ :– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रं एफ –5–3/2006/एक/3, दिनांक 16 मई, 2007 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 08.02.2008.

———

कृपया इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें। जिसके द्वारा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण के संबंध में आ रही कठिनाईयों को दूर किये जाने के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 08 फरवरी, 2008 द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है। अब दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण के संबंध में निर्देश स्पष्ट हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि ज्ञान क्रमांक एफ –5–3/2006/एक/3, दिनांक 16 मई, 2007 की कंडिका 5.2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाये :–

> ''संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक विभाग द्वारा एक छानबीन समिति गठित की जावे, जिसमें संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव/सचिव के मत में आवश्यक होने पर अन्य अधिकारियों को सदस्य रखा जावे।''

2/ उपरोक्त संशोधन के फलस्वरूप अब समिति में सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त एवं विधि विभाग के प्रतिनिधियों को सदस्य रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

3/ कृपया दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण हेतु छानबीन समितियों की बैठक शीघ्र की जाकर ज्ञापन दिनांक 16–5–2007 की कंडिका–11 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जानकारी 05 मार्च, 2008 तक सामान्य प्रशासन विभाग को निश्चित रूप से भेजी जावे।

हस्ता/–
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन